अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2018(RCMS : 2018/00120) सुखप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी 32 एफ अरायण तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखप्रीत सिंह एवं अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर का प्रतिनिधि उपस्थित।

प्रार्थी सुखप्रीत सिंह कथन है कि उसने दिनांक 23.05.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण उसने यह अपील पेश की है। उसकी अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुखप्रीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर से निम्न सूचना चाही थी:–

> दमन सिंह पुत्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर द्वारा चक नं 33 एफ तहसील श्रीकरणपुर का खाता नम्बर 107/107 का मुरब्बा नम्बर 47 का 6.32 है. रकबा की जो वसीयत की गई है और उस वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 449 दिनांक 20.12.2012 को हाकम सिंह पुत्र श्री दमन सिंह से हलका पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज किया गया है। वसीयत की नकल प्राप्त करनी है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक 711 दिनांक 21.06.2018 से निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कि आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 33 एफ का इन्तकाल संख्या 449/20.12.2012 वसीयत सरपंच, ग्राम पंचायत अरायण के आदेशांक दिनांक 13.11.2012 की पालना में दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त आदेश चक 30 एफ के इन्तकाल संख्या 374 पर चस्पा है तथा वसीयत की प्रति चस्पा नहीं है। अतः वसीयत की प्रति आप ग्राम पंचायत अरायण से प्राप्त कर सकते है। सूचनार्थ प्रेषित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर से सम्बन्धित नहीं हैं, इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3)(ii) के परन्तुक के तहत प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2018 को ग्राम पंचायत, अरायण को पांच दिनों के भीतर–भीतर को भिजवायें तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जाये।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर